समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता, माननीय पूर्व सांसद (राज्यसभा) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–1450 दिनांक–19.12.2014 द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। सम्यक विचारोपरांत स्तम्ब 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है।

योजना कार्यान्वियन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा के माध्यम से कराई जाएगी।

माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास की तिथि से अवगत करायेंगे।

क0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकि अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में महादलित सहित रिफ्युजी बस्ती के रिफ्युजी कॉलोनी में पी0सी0सी0 सड़क ढलाई	सदर मुंगेर	548200.00	548200.00	300000.00

कुल विमुक्ति की राशि मो0–300000.00 (तीन लाख) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्त्ते–

1. राशि उपलब्ध होने के बाद ही योजनाओं का कार्यान्वियन करेंगे।
2. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो।
3. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व मध्य एवं पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा कर अभिलेख में संधारित किया जाय।
4. योजना स्थल पर विस्तृत सूचना पट्ट लगायी जाय।
5. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेबार होगें।
6. गुण नियंत्रण प्रमंडल से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
7. योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासी विभाग को योजना के संधारण हेतु हस्तानांतरित करेंगे।
9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या ज्ञापांक 3756 दिनांक 10.11.2011 एवं समय समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
10. Contigency की राशि के व्यय का लेखा अलग से संधारित होना चाहिए।
11. योजना का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानो के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

12. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।

13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेंगे की इस योजना में विगत 5 वर्षो में कार्य नही हुआ हो।

14. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. किसी भी योजना का Duplication नही हो।

16. माननीय सांसद द्वारा प्राप्त अनुशंसा पत्र एवं सहमति पत्र को संचिका में रक्षित करेंगे।

17. संबंधित विभाग से योजना का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लेंगे।

18. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

19. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

20. राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।

21. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अन्यत्र नही होगा।

22. खुदाई हेतु काटे जाने वाले मिट्टी का नापी प्रतिदिन किया जाय।

23. कार्यारंभ के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे यह योजना किसी अन्य मद से प्रस्तावित या स्वीकृत न हो।

24. Exiting लेवल को Record करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ करेंगे।

25. निकाले गये मिट्टी का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 09 / जि0यो0, दिनांक 07/01/15

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि विमुक्त राशि का चेक जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध करा दे।

प्रतिलिपि-- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/15

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।